प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 01/2021 आर.टी.आई.
दायर दिनांक - 06.01.2021
निर्णय दिनांक - 18.01.2021

श्री कालुराम गुर्जर पुत्र श्री दौलतराम गुर्जर, निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़	बनाम	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

श्री कालुराम गुर्जर पुत्र श्री दौलतराम गुर्जर, निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 23.12.2020 (दिनांक 31.12.2020 को प्राप्त) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं अपूर्ण उपलब्ध कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 109-110 दिनांक 06.01.2021 से श्री कालुलाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 11.01.2021 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी श्री कालुराम गुर्जर द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 24.11.2020 से चाही गयी सूचना सम्बन्धित अनुभाग से प्राप्त कर उनके कार्यालय के पत्रांक 3863 दिनांक 16.12.2020 से वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करा दी गई है। उक्त आवेदन के बिन्दु संख्या-3 में चाही गई सूचना शुन्य होने से अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध सूचनाएं की प्रार्थी को उपलब्ध कराई जाती है। कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार जो सूचना उपलब्ध है, वह प्रार्थी को पूर्व में ही प्रदान कर दी गई।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 171 दिनांक 11.01.2021 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी द्वारा लिखित प्रतिक्रिया, दिनांक 11.01.2021 को इस कार्यालय को दिनांक 18.01.2021 को प्राप्त हुई, को व्यक्तिगत पक्ष मानने का

कार्यालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर

अनुरोध कर कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु संख्या-3 में वर्णित वांछित सूचनाएं आवेदन के अनुरूप उपलब्ध नहीं कराई। अतः वांछित सूचनाएं आवेदन के बिन्दु संख्या-3 के अनुरूप पूर्ण, स्पष्ट, सही, अतिशीघ्र एवं निःशुल्क दिलवाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब, अपीलार्थी की लिखित प्रतिक्रिया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 24.11.2020 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। उक्त आवेदन के बिन्दु संख्या-3 में चाही गई सूचना शुन्य होने से अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि एवं प्रावधानोनुसार अवगत करा दिया गया। कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार जो सूचना उपलब्ध है, वह अपीलार्थी को पूर्व में ही प्रदान कर दी गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है। अपीलार्थी अपील के आधारों को एवं लोक सूचना अधिकारी के उत्तर का दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा खण्डन करने में असफल रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

क्रमांक : 235 दि.: 18/01/2021

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

02- श्री कालुराम गुर्जर पुत्र श्री दौलतराम गुर्जर, निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

संभागीय आयुक्त
उदयपुर

कार्यालय संभागीय आयुक्त उदयपुर